पत्रांक–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9440 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक 23/6/2026

विषयः– **बांका जिलान्तर्गत बाराहाट प्रखंड के ग्राम पंचायत गोड़धावन के उपमुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बिन्दु पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः **राज्य निर्वाचन आयोन, बिहार का पत्रांक–1469 दिनांक 08.04.2026।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र, जो आपको संबोधित है एवं जिसकी प्रति विभाग को दी गयी है, के माध्यम से सूचित किया गया है कि बांका जिलान्तर्गत बाराहाट प्रखंड के ग्राम पंचायत गोड़धावन के उपमुखिया के विरूद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक में मत विभाजन हेतु गुप्त मतदान की प्रक्रिया न अपना कर ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण उपमुखिया के निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में कहना है कि वर्णित मामले से संबंधित उपमुखिया के विरूद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में वैधानिक उपबंधों के उल्लंघन के कारण अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शून्य मानी जाएगी, एवं ग्राम पंचायत गोड़ाधावन के उपमुखिया अपने पद पर बने रहेंगे।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
18/6/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9440 / पं०रा० पटना, दिनांकः 23/6/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9440 / पं०रा० पटना, दिनांकः 23/6/2026

प्रतिलिपिः–संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक:–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9440 / पं०रा० पटना, दिनांक: 23/ 6 / 2026

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव